# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdajodhpur@yahoo.com वेब साईट https://urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/2656355-7


क्रमांक / बैठक / 2023 / 2605 दिनांक :: 26 सितम्बर, 2023

## बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

**प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।**

गत बैठक दिनांक **23 अगस्त 2023** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **23 अगस्त 2023** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 23 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन करने तथा जारी कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के जोन E-1 (Part B)के जोनल डवलपमेंट प्लान में राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 244/2 में अनुमोदित आवासीय योजना में से जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 24 मीटर (80 फीट) सडक को विलोपित किये जाने बाबत्।**

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैः–

- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 244/2 का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक से दिनांक 14.06.2007 को अनुमोदित है। **(Annexure-1)**
- अनुमोदित योजना मानचित्र पुरानी सरदार समंद रोड पर स्थित है जिसे योजना मानचित्र में 100 फीट दर्शाया गया है। मास्टर/ जोनल डवलपमेंट प्लान–2031 में उक्त सडक 120 फीट प्रस्तावित है। **(Annexure-2)**
- जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 24 मीटर सडक उक्त योजना के भूखण्डों के उपर से गुजर रही है। सडक की लम्बाई लगभग 610 मीटर है। **(Annexure-3)**
- प्रस्तावित सडक भाग में मौके पर कुछ भाग पर निर्माण है। **(Annexure-4)**
- अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 24 मीटर सडक हेतु निर्णय लिए जाने बाबत् कार्यकारी समिति में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में नियमानुसार आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने एवं प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता का होने के कारण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 3 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के जोन S-2 के जोनल डवलपमेंट प्लान में राजस्व ग्राम बोरानाडा, सालावास व तनावडा में रीको क्षेत्र में स्थित जी.एस.एस. से बोरानाडा–सालावास रोड एवं जोधपुर–सालावास रोड के मध्य स्थित प्रस्तावित 48 मीटर सडक के मार्गाधिकार 24 मीटर करने व शेष 24 मीटर मार्गाधिकार उत्तर दिशा में स्थित 132 के.वी. एच.टी. लाईन (सेफ्टी कोरीडोर उपरान्त 12–12 मीटर सडक मार्गाधिकार) के सहारे प्रस्तावित किए जाने के संबंध में।**

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

प्रकरण को कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 में रखा गया था जिसमें बाद विचार विमर्श निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

1. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को विलोपित करते हुए उत्तर दिशा में 132 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार 13.8 मीटर का सेफ्टी–कोरिडोर रखते हुए दोनों ओर 24–24 मीटर (48 मीटर सडक हेतु) सडक मार्गाधिकार रखा जावे।
2. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को वर्तमान में प्रस्तावित स्थान से विलोपित किये जाने के उपरांत औद्योगिक व आवासीय भू–उपयोग के प्रतिशत में परिवर्तन नहीं होने के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में आवासीय भू–उपयोग प्रस्तावित किया जावे।
3. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को विलोपित किये जाने की स्थिति में नियोजन की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र एवं आवासीय क्षेत्रों के मध्य ग्रीन बफर हेतु सेटबेक का निर्धारण नियमानुसार ले–आउट प्लान अनुमोदन करते समय निर्धारित किया जावे।
4. उपरोक्त प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे तथा अनुमोदन उपरांत विज्ञप्ति जारी कर आम–जन से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
5. प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मास्टर प्लान में संशोधन किये जाने के संबंध में कोई विधिक रोक नहीं हैं, इस बाबत् विधि शाखा से रिपोर्ट भी प्राप्त की जावें।

उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या 01 से 03 अनुसार आयोजना शाखा द्वारा आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया गया तथा बिन्दु संख्या 5 के कम में विधि शाखा से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.10.2022 में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"बैठक में विचार–विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित निदेशक–विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 9914/2019 में दिनांक 7 मई, 2019 को मास्टर डवलपमेंट प्लान में संशोधन के संबंध में "In the meantime, the parties are directed to maintain status quo, as it exists today"का आदेश पारित किया गया हैं। बैठक के दौरान माननीय महापौर श्रीमती कुन्ती परिहार द्वारा भी उक्त प्रस्ताव व्यापक जनहित में होने एवं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी मांग किये जाने के कारण संशोधन की कार्यवाही किये जाने में सहमति व्यक्त की गई। विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2022 को प्रेषित मार्गदर्शन एवं व्यापक जनहित में समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किये गये :–

1. मास्टर डवलपमेंट प्लान में संशोधन के संबंध में माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार की विधिक रोक नहीं हैं, के संबंध मे राज्य सरकार से राय प्राप्त की जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2009 को जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 20 व 21 एवं परिपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2010 के प्रावधान संख्या 4.1 के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन/संशोधन के संबंध में शिथिलता हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।

3. मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रश्नगत सड़क को विलोपित करने एवं उसके स्थान पर पर एच.टी. लाईन के नीचे सड़क स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 25 (4) के तहत् आमजन से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किया गया।

उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या 01 व 02 के कम में राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु दिनांक 18.11.2022 को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 01 के कम में प्राधिकरण स्तर से विधिक राय प्राप्त की गयी। प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मनीष सिंघवी व अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह की विधिक राय संलग्न हैं। (Annexure#9 & 10) उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 02 के कम में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित मार्गदर्शन अनुसार प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित है जिसके अनुसार मास्टर प्लान अनुमोदन के 2 वर्ष तक भू-उपयोग परिवर्तन निषेध है। मास्टर प्लान में संशोधन के संबंध में इसमें मना नही किया गया है। जोनल प्लान में संशोधन की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर की जानी है।

प्राधिकरण की बैठक के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में आमजन से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु आम-सूचना प्रकाशित की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. प्रश्नगत सडक रीको क्षेत्र में स्थित जी.एस.एस. से बोरानाडा-सालावास रोड एवं जोधपुर-सालावास रोड के मध्य स्थित है। मास्टर डवलमपेंट प्लान-2031/जोनल डवलमपेंट प्लान अनुसार सडक भाग में पूर्व में प्राधिकरण/न्यास द्वारा अनुमोदन (कमिटमेंट) किए गए है। अतः मास्टर प्लान-2031/जोनल प्लान अनुसार सडक के एलाईमेंट की कियान्विति करने हेतु उक्त कमिटमेंट की भूमि को अवाप्त किया जाना होगा।
2. प्रकरण में प्रश्नगत सडक को हटाये जाने एवम् सडक का एलाईमेंट उत्तर दिशा में गुजर रही 132 के.वी एच.टी लाईन के साथ समाहित करने के संबंध में माननीय विधायक बिलाडा, सरपंच सालावास व अन्य द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए है।
3. प्रश्नगत सडक व एच.टी लाईन के मध्य सालावास सडक के समीप अवस्थित खातेदारों की भूमि में एच.टी लाईन के सेफ्टी कोरिडोर व उसके उपरान्त रोड तथा मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की 48 मीटर प्रस्तावित सडक का प्रावधान किये जाने पर भूमि में सडक भाग का प्रतिशत बढ जाता है।
4. प्रश्नगत 48 मीटर प्रस्तावित सडक मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान के आवासीय व औद्योगिक भू-उपयोग को विभाजित करती है व दोनों उपयोग के बफर के रूप में स्थित है। सडक को विलोपित किये जाने से आवासीय व औद्योगिक भू-उपयोग के मध्य बफर क्षेत्र नही रहेगा, जो कि नियोजन की दृष्टि से उचित नही है।
5. अतः बिन्दु संख्या 01 से 04 के कम में प्रश्नगत सडक को विलोपित किये जाने के स्थान पर सडक मार्गाधिकार में संशोधन किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 48 मीटर सडक हेतु निर्णय लिए जाने बाबत् कार्यकारी समिति में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में नियमानुसार आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने एवं प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता का होने के कारण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व ग्राम खेजडली के खसरा संख्या 60 से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक के स्थान पर राजस्व रास्ते के प्रस्तावित 24 मीटर सड़क को अंकित करने बाबत्।**

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैः–

- जोनल डवलपमेंट प्लान में राजस्व ग्राम खेजडली के खसरा संख्या 07, 58, 167 इत्यादि में जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित जोनल डवलपमेंट प्लान सड़क के लगभग 160 मीटर दूरी कर राजस्व रास्ता स्थित हैं एवं उक्त रास्ते का मार्गाधिकार 24 मीटर किये जाने का निर्णय ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 29.08.2023 में लिया गया था।
- जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क एवं 24 मीटर राजस्व रास्ते के मध्य दूरी कम होने के कारण जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 18 मीटर सडक व्यवहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होती हैं।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 18 मीटर सडक हेतु निर्णय लिए जाने बाबत् कार्यकारी समिति में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में नियमानुसार आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने एवं प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता का होने के कारण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 180–184, 170, 171, 179 आदि में प्रस्तावित जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक का राजस्व रास्ते के परिपेक्ष में अलाईनमेंट संशोधित करने बाबत्**

प्रकरण में तथ्य निम्नानुसार है :–

- प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जोनल डवलपमेंट प्लान जोन डब्ल्यू–2 में मुख्य पाल रोड पर बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र से नारनाडी ग्राम तक जोनल प्लान में 18 मीटर सडक मार्गाधिकार दर्शाया गया है। जिसकी लम्बाई लगभग 1650 मीटर है।
- जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सडक के सहारे राजस्व रास्ता भी स्थित हैं जो मौके पर विद्यमान हैं।
- उपरोक्त के कम में प्रश्नगत सडक का एलाईमेंट राजस्व रास्ते के एलाईमेंट के सहारे किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्षय में जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 18 मीटर सडक का राजस्व रास्ते के सहारे अलाईनमेंट संशोधित किये जाने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में नियमानुसार आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने एवं प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता का होने के कारण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 6 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के जोन S-2 के जोनल डवलपमेंट प्लान में राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 322, 322/1 में सडक का**

**एलाईनमेंट अनुमोदित योजना अनुसार किये जाने एवं सडक के कुछ भाग को विलोपित किये जाने के संबंध में।**

प्रकरण में तथ्य निम्नानुसार है :–

- श्रीमती हमदा देवी पत्नी श्री रतन लाल, श्रीमती भोली देवी पत्नी श्री जबराराम के वेयर हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान के प्रकरण को बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 22.03.2022 को निर्णयार्थ रखा गया, जिसमें समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आयोजना शाखा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान में आवश्यक संशोधन करने व तदुपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
- प्रकरण को कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 16.06.2022 में रखा जाकर समान प्रकृति के अन्य प्रकरणों को चिन्हित कर समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में आयोजना शाखा का नवीन प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

- मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग वेयर हाऊस व गोदाम प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। उत्तर दिशा में मास्टर प्लान की 30 मीटर व पूर्व दिशा में जोनल प्लान की 24 मीटर सड़क से प्रभावित हैं।
- प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.11.2008 को अनुमोदित मानचित्र में भूमि के उत्तर–पूर्व दिशा व दक्षिण दिशा में दर्शित 80 फीट सड़को की स्थिति एवं प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में अनुमोदित मास्टर प्लान व जोनल डवलपमेंट प्लान में उक्त सड़कों की स्थिति एलाईनमेन्ट व विद्युत लाईन की क्षमता में भिन्नता हैं। उक्त के क्रम में आयोजना शाखा द्वारा पूर्व में अनुमोदित मानचित्र अनुसार सड़कों के एलाईमेंट के परिप्रेक्ष्य में अनुमोदित जोनल प्लान में संशोधित किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो कि समिति के समक्ष अवलोकनीय हैं।
- खसरा संख्या 322/1 के पूर्व अनुमोदित प्लान 20.11.2008 में पूर्व व दक्षिण दिशा में दर्शायी गयी 24 मीटर सड़क को मास्टर प्लान–2031 अनुसार 30 मीटर प्रस्तावित कर पूर्व अनुमोदित ले–आऊट प्लान में गुजर रही मास्टर/जोनल प्लान की 30 मीटर रोड़ बिन्दू सं. A-1 से B-1, B-1 से C-1, C-1 से D-1, C-1 से E-1 को विलोपित किया जाना प्रस्तावित हैं व बिन्दू सं. A-2 से B-2,B-2 से C-2 को पूर्व अनुमोदन की निरन्तरता में 24 मीटर सड़क मार्गाधिकार रखा जाना प्रस्तावित हैं। साथ ही आवेदित भूमि में से गुजर रही 132 के.वी. एच.टी. लाईन के सेफ्टी कॉरिडोर उपरान्त दोनो तरफ 12 मी. सड़क प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्षय में मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 30 मीटर सड़क को विलोपित किये जाने व नवीन 24 मीटर सड़क को पूर्व अनुमोदन की निरन्तरता में प्रस्तावित किये जाने हेतु निर्णय लिए जाने बाबत् कार्यकारी समिति में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 7 :: मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में दर्शित 60 मीटर सड़क का अलाईनमेंट जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुरूप संशोधित करने बाबत्।**

प्रकरण में तथ्य निम्नानुसार है :–

- प्राधिकरण द्वारा मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 दिनांक 18.02.2021 को अधिसूचित किया जा चुका हैं।
- जोन E-2का जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किया जाकर प्राधिकरण द्वारादिनांक 09.11.2021 को अधिसूचित किया जा चुका हैं।
- मास्टर डवलपमेंट प्लान में दर्शित 60 मीटर सड़क जो मुख्य पाली रोड़ से सरदार समंद रोड़ तक प्रस्तावित हैं उक्त सड़क का अलाईनमेंट मौका स्थिति एवं विभिन्न कमिटमेंट्स के परिप्रेक्ष्य में जोनल डवलपमेंट जोन E-2 में संशोधित किया गया हैं एवं वर्तमान में इस क्षैत्र में समस्त कार्यवाही जोनल डवलपमेंट प्लान अनुरूप ही की जा रही हैं।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में प्रस्तावित 60 मीटर सडक का अलाईनमेंट जोनल डवलपमेंट प्लान अनुरूप संशोधित किये जाने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण की अधिकारिता का होने के कारण तथा पूर्व में जोनल डवलपमेन्ट प्लान जोन ई–2 में आम जन से आपत्ति सुझाव प्राप्त कर निस्तारण उपरान्त जोनल डवलपमेन्ट प्लान को प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन उपरान्त अधिसूचित किया जा चुका है, अतः कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 8 :: श्री संदीप शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता को भुगतान की जाने वाली फीस रूपये 2,00,000/– का अनुमोदन हेतु।**

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन एकल पीठ याचिका संख्या 12880/2023 पार्श्वनाथ सिटी रेजिटेंड वेलफयेर सोसायटी बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर व अन्य में न्यायालय ने श्री दलीप सिंह राजवी को नोटिस स्वीकार करने का निर्देश दिया, जिसके क्रम में श्री राजवी ने याचिका की प्रति उपलब्ध करवाते हुए निजी कारणों से प्रकरण में पैरवी करने से मना करते हुए किसी अन्य अधिवक्ता की नियुक्ति का अनुरोध किया है। प्रकरण के महत्व को मध्यनजर रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप शाह को फीस रूपये 2,00,000/– प्राधिकरण की ओर से पैरवी हेतु कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में आदेश क्रमांकःएफ–42/विधि/जेडीए/(51/23)हा.को.2023/ 8442 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा नियुक्त गया था।

अतः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप शाह की प्राधिकरण की ओर से पैरवी हेतु फीस 2,00,000/– रूपये के भुगतान पर नियुक्ति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 9 :: सम्राट अशोक उद्यान स्थित मुख्य गार्डन का प्रतिदिन का किराया निर्धारण बाबत।**

| क्रं सं. | प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दरतावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। | सम्राट अशोक उद्यान स्थित मुख्य गार्डन का प्रतिदिन का किराया निर्धारण बाबत। |

सम्राट अशोक उद्यान मुख्य गार्डन में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम हेतु आवंटन अनुमति जारी किये जाने से पूर्व आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जोधपुर में सम्राट अशोक उद्यान में स्थित मुख्य गार्डन जोधपुर की प्रतिदिन की Short Booking की राशि न्यूनतम 10,000/– रूपये रखी जाने की अनुशंषा की जाती है।

15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती व अन्य राष्ट्रीय पर्वो के दिवसों में Short Booking नहीं की जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

राजकीय आयोजन अथवा सरकारी विभाग के तत्वाधान में तथा एन. जी. ओ व अन्य चेरिटेबल संस्थाओं को एंवम जनहित में आयोजित किये जाने वाले योगा केम्प, चिकित्सा केम्प, हेरिटेज वॉक इत्यादि एंवम विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किये जाने के क्रम में उपरोक्त Short Booking निशुल्क, सशुल्क अथवा रियायत पर देने हेतु अन्तिम निर्णय सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंवम निदेशक वित्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंवम निदेशक अभियांत्रिकी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की समिति आवश्यक निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी, की अनुशंषा की जाती हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शर्तो का निर्धारण करने हेतु आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जावेगा।

**प्रस्ताव संख्या 10 :: सम्राट अशोक उद्यान स्थित ओपन एयर थियेटर का प्रतिदिन का किराया निर्धारण बाबत।**

| क्रं सं. | प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। | सम्राट अशोक उद्यान स्थित ओपन एयर थियेटर का प्रतिदिन का किराया निर्धारण बाबत। |

सम्राट अशोक उद्यान ओपन एयर थियेटर में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम हेतु आवंटन अनुमति जारी किये जाने से पूर्व आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जोधपुर में सम्राट अशोक उद्यान में स्थित ओपन एयर थियेटर जोधपुर की प्रतिदिन Online Booking की राशि न्यूनतम 25,000/– रूपये रखी जाने की अनुशंषा की जाती है। आवंटन कर्त्ता को जोधपुर विकास प्राधिकरण हेतु 5 प्रतिशत सीटे आरक्षित रूप से अनिवार्य करवानी होगी।

15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती व अन्य राष्ट्रीय पर्वो के दिवसों में Online Booking नहीं की जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

राजकीय आयोजन अथवा सरकारी विभाग के तत्वाधान में तथा एन. जी. ओ व अन्य चेरिटेबल संस्थाओं को एंवम जनहित में आयोजित किये जाने वाले योगा केम्प, चिकित्सा केम्प, हेरिटेज वॉक इत्यादि

एंवम विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किये जाने के क्रम में उपरोक्त Online Booking निशुल्क, सशुल्क अथवा रियायत पर देने हेतु अन्तिम निर्णय सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंवम निदेशक वित्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंवम निदेशक अभियांत्रिकी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की समिति आवश्यक निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी, की अनुशंषा की जाती हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शर्तो का निर्धारण करने हेतु आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जावेगा।

**प्रस्ताव संख्या 11 :: भूखण्ड़ संख्या 699, सेक्टर एन, विवेक विहार योजना में दोहरा आवंटन होने के कारण लॉटरी के आवंटन को निरस्त करने बाबत्।**

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध |
|---|---|---|
| 01. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | भूखण्ड़ संख्या 699, सेक्टर एन, विवेक विहार योजना में दोहरा आवंटन होने के कारण लॉटरी के आवंटन को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। |

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की विवेक विहार आवासीय योजना में दिनांक 28.09.2011 को लॉटरी द्वारा भूखण्ड़ संख्या 699 सेक्टर एन, नाप 41.80 वर्गमीटर का आवंटन श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री भोजाराम गुर्जर को आवंटित हुआ। उक्त भूखण्ड प्राधिकरण की विवेक विहार सांगरिया अवार्ड शाखा में भी आवंटित है, प्रकरण दोहरा आवंटन होने के कारण लॉटरी द्वारा आवंटी भूखण्ड श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री भोजाराम गुर्जर का आवेदन सामान्य वर्ग के स्थान पर अनु.जनजाति वर्ग में होने के कारण निरस्त योग्य है। उक्त के क्रम में कार्यालय द्वारा दैनिक समाचार–पत्र मे आम सूचना, दिनांक 01.07.2023 को प्रकाशित की गई, जिसके संबंध में किसी प्रकार का कोई उजर–एतराज प्राप्त नही हुआ है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 12 :: विवेक विहार योजना के अवार्ड संख्या 393/1 ग्राम सांगरिया में दोहरे आवंटित भूखण्ड एम–243 रकबा 50 व.ग. का आवंटन निरस्त कर बदले में अन्य भूखण्ड इसी माप का योजना में आवंटन करने के संबंध में।**

| क्र. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध |
|---|---|---|
| 01. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। | प्रस्ताव अनुसार अवार्ड संख्या 393/1 ग्राम सांगरिया के अवार्डी श्री भंवरलाल पुत्र स्व. श्री कुनाराम को इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। |

प्रकरण में अवार्डी श्री भंवरलाल पुत्र स्व. श्री कुनाराम को अवार्ड संख्या 393/1 में लॉटरी दिनांक 27.03.2012 को भूखण्ड संख्या एम–243 बनाप 50 व.ग. का आंवटन किया गया जाकर आवंटन पत्र एवं लीजडीड जारी की गई। तत्पश्चात् प्रार्थी श्री भंवरलाल सैन द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लिखा गया कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या एम–243 बनाप 50 व.ग. का आवंटन प्राधिकरण द्वारा अन्य आवंटी को किये जाने से उक्त भूखण्ड का दोहरा आवंटन हो गया है। प्रकरण में वसूली शाखा की रिपोर्ट अनुसार विवेक विहार योजना के भूखण्ड संख्या एम–243 रकबा 50 व.ग. आवंटी श्री जगदीशराम जयपाल पुत्र श्री सुरजनराम जयपाल को आवंटन किया गया एवं दिनांक 27.05.2013 को भूखण्ड की लीजडीड जारी की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड एम–243 का दोहरा आवंटन होने से उक्त भूखण्ड का आंवटन एवं जारी पंजीकृत लीजडीड निरस्त कर बदले में इसी माप का अन्य भूखण्ड योजना के सेक्टर 'एम' या अन्य सेक्टर में आवंटन किये जाने की मांग की गई है।

प्रकरण में भूखण्ड संख्या एम–243 बनाप 50 व.ग. का आवंटन अवार्डी के साथ आवंटी को भी किया जाकर दोनों को उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी कर दी गई, चूंकि आवंटी को प्राधिकरण द्वारा आवेदन आंमत्रित किये जाने पर आवंटन किया गया, एवं अवार्डी को उसकी अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे में आवंटन किया गया। अतः आवंटी को प्राथमिकता दिये जाने पर अवार्डी के आवंटन का निरस्त कर बदले में इसी माप का अन्य भूखण्ड योजना के सेक्टर 'एम' या नजदीकी सेक्टर में उपलब्ध समान नाप के, समान सड़क सीमा पर उपलब्ध खाली भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ सादर पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 13 :: विवेक विहार योजना के अवार्ड संख्या 393/3 ग्राम सांगरिया में दोहरे आवंटित भूखण्ड एम–269 रकबा 50 व.ग. का आवंटन निरस्त कर बदले में अन्य भूखण्ड इसी माप का योजना में आवंटन करने के संबंध में।**

| क्र. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध |
|---|---|---|
| 01. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। | प्रस्ताव अनुसार अवार्ड संख्या 393/3 ग्राम सांगरिया के अवार्डी श्री नथुराम पुत्र स्व. श्री कुनाराम को इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। |

प्रकरण में अवार्डी श्री नथुराम पुत्र स्व. श्री कुनाराम को अवार्ड संख्या 393/3 में लॉटरी दिनांक 27.03.2012 को भूखण्ड संख्या एम–269 बनाप 50 व.ग. का आंवटन किया गया जाकर आवंटन पत्र एवं लीजडीड जारी की गई। तत्पश्चात् प्रार्थी श्री नथुराम सैन द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लिखा गया कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या एम–269 बनाप 50 व.ग. का आवंटन प्राधिकरण द्वारा अन्य आवंटी को किये जाने से उक्त भूखण्ड का दोहरा आवंटन हो गया है। प्रकरण में वसूली शाखा की रिपोर्ट अनुसार विवेक विहार योजना के भूखण्ड संख्या एम–269 रकबा 50 व.ग. आवंटी श्रीमती मानकंवर पत्नी श्री भवानी सिंह को आवंटन किया गया एवं दिनांक 19.09.2012 को भूखण्ड की लीजडीड जारी की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड एम–269 का दोहरा आवंटन होने से उक्त भूखण्ड का आंवटन एवं जारी पंजीकृत लीजडीड निरस्त कर बदले में इसी माप का अन्य भूखण्ड योजना के सेक्टर 'एम' या अन्य सेक्टर में आवंटन किये जाने की मांग की गई है।

प्रकरण में भूखण्ड संख्या एम–269 बनाप 50 व.ग. का आवंटन अवार्डी के साथ आवंटी को भी किया जाकर दोनों को उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी कर दी गई, चूंकि आवंटी को प्राधिकरण द्वारा आवेदन आंमत्रित किये जाने पर आवंटन किया गया, एवं अवार्डी को उसकी अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे में आवंटन किया गया। अतः आवंटी को प्राथमिकता दिये जाने पर अवार्डी के आवंटन का निरस्त कर बदले में इसी माप का अन्य भूखण्ड योजना के सेक्टर 'एम' या नजदीकी सेक्टर में उपलब्ध समान नाप के, समान सड़क सीमा पर उपलब्ध खाली भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ सादर पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 14 :: विवेक विहार योजना के अवार्ड संख्या 393/5 ग्राम सांगरिया में दोहरे आवंटित भूखण्ड के–521 रकबा 50 व.ग. का आवंटन निरस्त कर बदले में अन्य भूखण्ड इसी माप का योजना में आवंटन करने के संबंध में।**

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध |
|---|---|---|
| 01. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। | प्रस्ताव अनुसार अवार्ड संख्या 393/5 ग्राम सांगरिया के अवार्डी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. कुनाराम को इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। |

प्रकरण में अवार्डी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. कुनाराम को अवार्ड संख्या 393/5 में लॉटरी दिनांक 27.03.2012 को भूखण्ड संख्या के–521 बनाप 50 व.ग. का आवंटन किया गया जाकर आवंटन पत्र एवं लीजडीड जारी की गई। तत्पश्चात् प्रार्थी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. श्री कुनाराम के पंजीकृत वसीयतधारक श्री नथुराम उर्फ नथाराम पुत्र स्व. श्री कुनाराम द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रार्थना पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टे की प्रति, वसीयतनामें की प्रति प्रस्तुत कर लिखा गया कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या के–521 बनाप 50 व.ग. का आवंटन प्राधिकरण द्वारा अन्य आवंटी को किये जाने से उक्त भूखण्ड का दोहरा आवंटन हो गया है। प्रकरण में वसूली शाखा की रिपोर्ट अनुसार विवेक विहार योजना के भूखण्ड संख्या के–521 रकबा 50 व.ग. आवंटी श्री सांवल सिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह को आवंटन किया गया एवं दिनांक 19.09.2012 को भूखण्ड की लीजडीड जारी की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के–521 का दोहरा आवंटन होने से उक्त भूखण्ड का आवंटन एवं जारी पंजीकृत लीजडीड निरस्त कर बदले में इसी माप का अन्य भूखण्ड योजना के सेक्टर 'के' या नजदीकी सेक्टर में आवंटन किये जाने की मांग की गई है।

प्रकरण में भूखण्ड संख्या के–521 बनाप 50 व.ग. का आवंटन अवार्डी के साथ आवंटी को भी किया जाकर दोनों को उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी कर दी गई, चूंकि आवंटी को प्राधिकरण द्वारा आवेदन आंमत्रित किये जाने पर आवंटन किया गया, एवं अवार्डी को उसकी अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे में आवंटन किया गया। अतः आवंटी को प्राथमिकता दिये जाने पर अवार्डी के आवंटन का निरस्त कर बदले में इसी माप का अन्य भूखण्ड योजना के सेक्टर 'के' या नजदीकी सेक्टर में उपलब्ध समान नाप के, समान सड़क सीमा पर उपलब्ध खाली भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ सादर पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 15 :: विवेक विहार योजना के अवार्ड संख्या 415 ग्राम सांगरिया में दोहरे आवंटित भूखण्ड के–220 रकबा 166.66 व.ग. का आवंटन निरस्त कर बदले में अन्य भूखण्ड इसी माप का योजना में आवंटन करने के संबंध में।**

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध |
|---|---|---|
| 01. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। | प्रस्ताव अनुसार अवार्ड संख्या 415 ग्राम सांगरिया के अवार्डी श्री राजेन्द्र पुत्र श्री सुखलाल को इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। |

प्रकरण में अवार्डी श्री राजेन्द्र पुत्र श्री सुखलाल को अवार्ड संख्या 415 में लॉटरी दिनांक 27.03.2012 को भूखण्ड संख्या के–220 बनाप 166.66 व.ग. का आंवटन किया गया जाकर आवंटन पत्र एवं लीजडीड जारी की गई। तत्पश्चात् प्रार्थी श्री राजेन्द्र पुत्र श्री सुखलाल द्वारा दिनांक 13.07.2023 को प्रार्थना पत्र, पट्टे की प्रति प्रस्तुत कर लिखा गया कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या के–220 बनाप 166.66 व.ग. का आवंटन प्राधिकरण द्वारा अन्य आवंटी को किये जाने से उक्त भूखण्ड का दोहरा आवंटन हो गया है। प्रकरण में वसूली शाखा की रिपोर्ट अनुसार विवेक विहार योजना के भूखण्ड संख्या के–220 बनाप 166.66 व.ग. आवंटी श्री विनोद कुमार टेलर पुत्र श्री पुखराज टेलर को आवंटन किया गया एवं भूखण्ड की लीजडीड क्रमांक 427 दिनांक 13.12.2019 को जारी की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के–220 का दोहरा आवंटन होने से उक्त भूखण्ड का आंवटन एवं जारी पंजीकृत लीजडीड निरस्त कर बदले में इसी माप का अन्य भूखण्ड योजना के सेक्टर 'के' या अन्य सेक्टर में आवंटन किये जाने की मांग की गई है।

प्रकरण में भूखण्ड संख्या के–220 बनाप 166.66 व.ग. का आवंटन अवार्डी के साथ आवंटी को भी किया जाकर दोनों को उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी कर दी गई, चूंकि आवंटी को प्राधिकरण द्वारा आवेदन आंमत्रित किये जाने पर आवंटन किया गया, एवं अवार्डी को उसकी अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे में आवंटन किया गया। अतः आवंटी को प्राथमिकता दिये जाने पर अवार्डी के आवंटन का निरस्त कर बदले में इसी माप का अन्य भूखण्ड योजना के सेक्टर 'के' या नजदीकी सेक्टर में उपलब्ध समान नाप के, समान सड़क सीमा पर उपलब्ध खाली भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ सादर पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 16 :: विवेक विहार योजना के अवार्ड संख्या 545 खसरा संख्या 242 ग्राम सांगरिया में दोहरे आवंटित भूखण्ड एच–1054 रकबा 350 व.ग. एवं ओ–591 रकबा 50 व.ग. का आवंटन निरस्त कर बदले में अन्य भूखण्ड इसी माप के योजना में आवंटन करने के संबंध में।**

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध |
|---|---|---|
| 01. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। | प्रस्ताव अनुसार अवार्ड संख्या 545 ग्राम सांगरिया के अवार्डी श्री कानाराम उर्फ कन्हैयालाल बोराणा को इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। |

प्रकरण में अवार्डी श्री कानाराम उर्फ कन्हैयालाल बोराणा पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लिक्ष्मणराम जी घांची को अवार्ड संख्या 545 खसरा संख्या 242 ग्राम सांगरिया में लॉटरी दिनांक 26.07.2012 को भूखण्ड संख्या एच–1054 रकबा 350 व.ग. एवं ओ–591 रकबा 50 व.ग. का आंवटन किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी श्री कानाराम उर्फ कन्हैयालाल बोराणा पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लिक्ष्मणराम जी द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लिखा गया कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या एच–1054 रकबा 350 व.ग. एवं ओ–591 बनाप 50 व.ग. का आवंटन प्राधिकरण द्वारा अन्य आवंटी को किये जाने से उक्त भूखण्ड का दोहरा आवंटन हो गया है। प्रकरण में वसूली शाखा की रिपोर्ट अनुसार विवेक विहार योजना के भूखण्ड संख्या ओ–591 रकबा 50 व.ग. आवंटी श्री अशोक कुमार व्यास को आवंटन किया जाकर भूखण्ड की लीजडीड जारी की गई है, एवं भूखण्ड संख्या एच–1054 रकबा 350 व.ग. आवंटी श्री सुनिल कुमार शर्मा को आवंटन किया जाकर भूखण्ड की लीजडीड जारी की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड संख्या एच–1054 रकबा 350 व.ग. एवं ओ–591 रकबा 50 व.ग. का दोहरा आवंटन होने से उक्त भूखण्ड का आंवटन निरस्त कर बदले में इसी माप के अन्य भूखण्ड योजना के सेक्टर 'एच व ओ' या नजदीकी सेक्टर में आवंटन किये जाने की मांग की गई है।

प्रकरण में भूखण्ड संख्या एच–1054 बनाप 350 व.ग. व ओ–591 बनाप 50 व.ग. का आवंटन अवार्डी के साथ आवंटी को भी आवंटन किया जाकर आवंटी को उक्त भूखण्डों की लीजडीड जारी कर दी गई, चूंकि आवंटी को प्राधिकरण द्वारा आवेदन आंमत्रित किये जाने पर आवंटन किया गया, एवं अवार्डी को उसकी अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे में आवंटन किया गया। अतः आवंटी को प्राथमिकता दिये जाने पर अवार्डी के आवंटन का निरस्त कर बदले में इसी माप का अन्य भूखण्ड योजना के सेक्टर 'एच व ओ' या नजदीकी सेक्टर में उपलब्ध समान नाप के, समान सड़क सीमा पर उपलब्ध खाली भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ सादर पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 17 :: भूखण्ड संख्या 93 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर आवासीय योजना का भूखण्ड आवंटन बाबत्।**

| क.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा / प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | भूखण्ड संख्या 93 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर आवासीय योजना का भूखण्ड आवंटन हेतु अभिषंशा की गई है। |

प्रार्थी श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कान सिंह द्वारा राजीव गांधी आवासीय योजना में आवेदन पत्र मासिक आय 10,000 से 15,000/– में 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण राशि 10,000/– जरिए चालान 17187 द्वारा जमा करवाए गए थे।

प्रार्थी को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को भूखण्ड संख्या एच–93 राजीव गांधी नगर योजना में आवंटित हुआ था। आवंटन में जांच अधिकारी द्वारा जांच में बताया गया कि आय वर्ग सही नही होने के कारण भूखण्ड निरस्त योग्य है तथा आय वर्ग अधिक होने के कारण भूखण्ड को निरस्त कर दिया गया था।

प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की पूर्ण कीमत राशि 81,900/– रसीद क्रमांक 9001/8960 दिनांक 08.05.2010 तथा एकमुश्त लीजराशि रसीद नं. 9493 दिनांक 16.11.2022 को रू 41311/– भी जमा करवायी गयी।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटित भूखण्ड संख्या 93 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर योजना का भूखण्ड को बहाल करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण पत्रांक एफ46/आवंटन जोन–4/2023/1904 दिनांक 15.06.2023 को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, जोधपुर को सैनिक श्री गोपाल सिंह की आय के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, जोधपुर के पत्रांक जेडीए/जि सै क का/जोध/2023/1514 दिनांक 27 जून 2023 को सैनिक श्री गोपालसिंह की आय के संबंध में रिपोर्ट प्राधिकरण कार्यालय में भिजवाई गयी जिसमें 11720/– रू को मूल वेतन माना जाये का हवाला दिया गया है।

अतः प्राथी का सही आय वर्ग में आवेदन की पुष्टि होने के पश्चात् प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या एच–93 को बहाल करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 18 :: श्रीमती मैना देवी पत्नी श्री मोहन लाल सोनी भूखण्ड संख्या 129 सेक्टर जे राजीव गांधी नगर योजना का भूखण्ड आवंटन बाबत्।**

| क. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | श्रीमती मैना देवी पत्नि श्री मोहन लाल सोनी भूखण्ड संख्या 129 सेक्टर जे राजीव गांधी नगर योजना का भूखण्ड आवंटन की अभि  ंशा की गई है। |

प्रार्थीनी श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि शंकर लाल सामरिया को भूखण्ड संख्या ए–123 क्षेत्रफल 43.85 वर्गमीटर पूर्वी पाल रोड योजना में दिनांक 04.08.1989 को लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया था। उक्त योजना में अतिक्रमण होने के कारण भौतिक कब्जा नही दिया जा सकता।

उक्त भूखण्ड का आमुख्तयारनाम श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि शंकर लाल सामरिया ने श्री मोहनलाल सोनी को किया तथा मोहनलाल सोनी ने बेचान श्रीमती मैना देवी पत्नि श्री मोहनलाल सोनी को कर दिया तथा नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करवाया।

प्रार्थी द्वारा लिखित में सहमति प्रस्तुत कर राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 129 सेक्टर जे आवंटन हेतु सहमति प्रस्तुत की गई।

कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार राजीव गांधी योजना सेक्टर जे में भूखण्ड संख्या 129 मौके पर रिक्त है जिसका क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर है।

वसुली शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 129 सेक्टर जे राजीव गांधी नगर योजना रेकर्ड अनुसार उक्त भूखण्ड रिक्त है।

निलामी शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 129 सेक्टर जे राजीव गांधी येाजना का भूखण्ड मौके पर रिक्त है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णयानुसार प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार प्राधिकरण की अरणा विहार येाजना, झरणा विहार येाजना, राजीव गांधी नगर योजना तथा आनंद विहार आवासीय येाजना, उक्त चारो योजनाओ में से किसी एक योजना में भूखण्ड शिफ्टिंग की कार्यवाही प्रार्थी से लिखित सहमति लेकर की जा सकती है।

अतः प्रार्थीनी श्रीमती मैना देवी पत्नि श्री मोहनलाल सोनी को राजीव गांधी नगर आवासीय येाजना सेक्टर–जे भूखण्ड संख्या 129 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का भूखण्ड प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णयानुसार तथा प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार भूखण्ड आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 19 :: श्री मुस्ताक ऐहमद को भूखण्ड संख्या 32–ए पूर्वी पाल रोड योजना के एवज में भूखण्ड संख्या 234 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर योजना का भूखण्ड आवंटन बाबत्।**

| क्र. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | श्री मुस्ताक ऐहमद को भूखण्ड संख्या 32–ए पूर्वी पाल रोड योजना के एवज में भूखण्ड संख्या 234 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर योजना का भूखण्ड आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या ए–32 क्षेत्रफल 43.85 वर्गमीटर पूर्वी पाल रोड योजना में 04.08.1989 को लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया था। उक्त योजना में अतिक्रमण होने के कारण भौतिक कब्जा नही दिया जा सकता। प्रार्थी द्वारा लिखित में सहमति प्रस्तुत कर राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 32 सेक्टर ए आवंटन हेतु सहमति प्रस्तुत की गई।

कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार राजीव गांधी योजना सेक्टर एच में भूखण्ड संख्या 234 मौके पर रिक्त है जिसका क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर है।

वसुली शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 234 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर योजना रेकर्ड अनुसार उक्त भूखण्ड रिक्त है।

निलामी शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 234 सेक्टर एच राजीव गांधी योजना का भूखण्ड मौके पर रिक्त है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णयानुसार प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार प्राधिकरण की अरणा विहार येाजना, झरणा विहार येाजना, राजीव गांधी नगर योजना तथा आनंद विहार आवासीय येाजना, उक्त चारो योजनाओ में से किसी एक योजना में भूखण्ड शिफ्टिंग की कार्यवाही प्रार्थी से लिखित सहमति लेकर की जा सकती है।

अतः प्रार्थी श्री मुस्ताक ऐहमद को राजीव गांधी नगर आवासीय येाजना सेक्टर–एच भूखण्ड संख्या 234 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का भूखण्ड प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णयानुसार तथा प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार भूखण्ड आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 20 :: प्रार्थीनी श्रीमती विमल कंवर पत्नि श्री नरपत सिंह भोखावत को पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर अन्यत्र योजना अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत्।**

| क. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | प्रार्थीनी श्रीमती विमल कंवर पत्नि श्री नरपत सिंह भोखावत को पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर अन्यत्र योजना अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन की अभि ंशा की गई है। |

प्रार्थी श्री भंवरलाल पुत्र हरिदास को भूखण्ड संख्या जी–279 पूर्वी पाल रोड योजना 120 वर्गमीटर का भूखण्ड दिनांक 04.08.1989 को लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ था।

उक्त भूखण्ड का मौके पर अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी द्वारा अन्यत्र योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त भूखण्ड का प्रार्थी श्री भंवरलाल द्वारा श्री हेमराज सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह को आमुख्तयार नामा दिया गया। प्रार्थी श्री हेमराज द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान प्रार्थीनी श्रीमती विमल कंवर पत्नि श्री नरपत सिंह शेखावत को कर दिया गया तथा उक्त के संबंध में प्राधिकरण द्वारा नाम हस्तान्तरण भी प्रार्थीनी श्रीमती विमल कंवर के पक्ष में दिनांक 26.04.2016 को कर दिया गया।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णयानुसार भूखण्ड शिफ्टिंग बाबत् उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णित किया गया कि भूखण्ड समकक्ष दिया जावें समान क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध नही हो तो लगभग समान (थोडा कम या ज्यादा) क्षेत्रफल का भूखण्ड दे दिया जावें तथा प्लॉट शिफ्टिंग में राजीव गांधी नगर येाजना, आनंद विहार, अरणा विहार एवं झरणा विहार के विकल्प देकर स्थानान्तरण / क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जावें।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णय की पालना में प्रार्थीनी को अरणा विहार योजना में समकक्ष भूखण्ड आवंटन लगभग समान (थोडा कम या ज्यादा) क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 21 :: श्री दयाराम गोदारा पुत्र श्री रामलाल गोदारा को पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर अन्यत्र योजना अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत्।**

| क. स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | श्री दयाराम गोदारा पुत्र श्री रामलाल गोदारा को पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर अन्यत्र योजना अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

श्री दयाराम गोदारा पुत्र श्री रामलाल गोदारा को भूखण्ड संख्या 33 क्षेत्रफल 199.50 वर्गमीटर पूर्वी पाल रोड योजना में दिनांक 09.08.1996 को लॉटरी द्वारा भूखण्ड का आवंटन हुआ था।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.04.2019 की पालना में उपायुक्त (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पत्र दिनांक 23.07.2020 के द्वारा याचिकार्थी श्री दयाराम गोदारा से प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर योजना चौखा, अरणा विहार, झरणा विहार, आनंद विहार योजनाओं में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति चाही गई। उक्त पत्र को कोई प्रत्युत्तर याचिकार्थी से प्राप्त नही हुआ।

याचिकार्थी को पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या एच–33 क्षेत्रफल 199 वर्गमीटर के बदले में वैकल्पिक भूखण्ड का आवंटन किया जाना है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 02.08.2019 (बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27.08.2019) के प्रस्ताव संख्या 12 के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि प्लॉट शिफ्टिंग में राजीव गांधी नगर, आनंद विहार, अरणा विहार एवं झरणा विहार के विकल्प स्थानांतरण/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जावें।

कार्यालय आदेश क्रमांक 2020 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.04.2019 की पालना में याचिकार्थी श्री दयाराम गोदारा को मूल रूप से आवंटित भूखण्ड संख्या 33, क्षेत्रफल 199 वर्गमीटर, सेक्टर एच पूर्वी पाल रोड योजना के बदले अरणा विहार योजना में भूखण्ड संख्या ए–133, ए–117 व ए–120 (प्रत्येक क्षेत्रफल 234 वर्गमीटर) में से लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड आवंटन करने का प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः श्री दयाराम गोदारा पुत्र श्री रामलाल गोदारा को पूर्वी पाल रोड योजना के एवज में भूखण्ड संख्या ए–133, ए–117 व ए–120 (प्रत्येक क्षेत्रफल 234 वर्गमीटर) में से लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड अरणा विहार योजना में आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी सिमति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 22 :: श्री अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल रसीद को भूखण्ड संख्या 100 बकरा मण्डी योजना के एवज में भूखण्ड संख्या 15 बकरा मण्डी येाजना का भूखण्ड आवंटन बाबत**

| क. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | श्री अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल रसीद को भूखण्ड संख्या 100 बकरा मण्डी योजना के एवज में भूखण्ड संख्या 15 बकरा मण्डी येाजना का भूखण्ड आवंटन की अभि ंशा की गई है। |

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 100 क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर पूर्वी बकरा मण्डी योजना में 25.04.2006 को लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड सडक भाग में जाने के कारण प्रार्थी द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बकरा मण्डी येाजना में रिक्त पडे भूखण्ड संख्या 15 आवंटन करने की मांग की है।

कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार बकरा मण्डी येाजना में भूखण्ड संख्या 15 मौके पर रिक्त है जिसका क्षेत्रफल 87.50 वर्गमीटर है।

वसुली शाखा की रिपोर्ट अनुसार बकरा मण्डी येाजना में भूखण्ड संख्या 15 रेकर्ड अनुसार उक्त भूखण्ड रिक्त है।

निलामी शाखा की रिपोर्ट अनुसार बकरा मण्डी येाजना में भूखण्ड संख्या 15 का भूखण्ड मौके पर रिक्त है।

प्रार्थी को पूर्व में आवंटन भूखण्ड़ सख्या 100 कॉर्नर नही था भूखण्ड सख्या 15 बकरा मण्डी योजना का भूखण्ड कॉर्नर है प्रार्थी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कॉर्नर भूखण्ड़ आवंटन हेतु नियमानुसार जो राशि जमा होती है वह जमा कराने हेतु सहमत है।

प्रार्थी को पूर्व में आवटित भूखण्ड सख्या 100 का क्षैत्रफल 116.12 वर्गमीटर था एवं भूखण्ड सख्या 15 का क्षैत्रफल 87.50 वर्गमीटर है।

अतः प्रार्थी श्री अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल रसीद को बकरा मण्डी योजना भूखण्ड संख्या 15 क्षेत्रफल 87.50 वर्गमीटर का भूखण्ड 10 प्रतिशत राशि अधिक लेते हुए आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 23 :: श्री भोखर व्यास पुत्र श्री रूपनारायण व्यास को भूखण्ड संख्या 366 सेक्टर जे राजीव गांधी नगर योजना का भूखण्ड आवंटन बाबत्।**

| क्र. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | श्री भोखर व्यास पुत्र श्री रूपनारायण व्यास को भूखण्ड संख्या 366 सेक्टर जे राजीव गांधी नगर योजना का भूखण्ड आवंटन की अभि ंशा की गई है। |

प्रार्थी श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री बी.आर. चौहान को भूखण्ड संख्या ए–70 क्षेत्रफल 43.50 वर्गमीटर पूर्वी पाल रोड योजना में दिनांक 04.08.1989 को लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया था। उक्त योजना में अतिक्रमण होने के कारण भौतिक कब्जा नही दिया जा सकता।

उक्त भूखण्ड का बेचान श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री बी.आर. चौहान ने श्री शेखर व्यास पुत्र श्री रूपनारायण व्यास के नाम कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण प्राधिकरण द्वारा श्री शेखर व्यास पुत्र स्व. श्री रूपनारायण व्यास के पक्ष में कर दिया गया था।

प्रार्थी द्वारा लिखित में सहमति प्रस्तुत कर राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 366 सेक्टर जे आवंटन हेतु सहमति प्रस्तुत की गई।

कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार राजीव गांधी योजना सेक्टर जे में भूखण्ड संख्या 366 मौके पर रिक्त है जिसका क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर है।

वसुली शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 366 सेक्टर जे राजीव गांधी नगर योजना रेकर्ड अनुसार उक्त भूखण्ड रिक्त है।

निलामी शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 366 सेक्टर जे राजीव गांधी येाजना का भूखण्ड मौके पर रिक्त है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णयानुसार प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार प्राधिकरण की अरणा विहार येाजना, झरणा विहार येाजना, राजीव गांधी नगर योजना तथा आनंद विहार आवासीय येाजना, उक्त चारो योजनाओ में से किसी एक योजना में भूखण्ड शिफ्टिंग की कार्यवाही प्रार्थी से लिखित सहमति लेकर की जा सकती है।

अतः प्रार्थीनी श्रीमती मैना देवी पत्नि श्री मोहनलाल सोनी को राजीव गांधी नगर आवासीय येाजना सेक्टर–जे भूखण्ड संख्या 366 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का भूखण्ड प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णयानुसार तथा प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार भूखण्ड आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 24 :: श्री कैलाश जोशी, सेवानिवृत सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्राधिकरण में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर सेवाए लेने के सम्बन्ध में।**

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 01. | यह घोषणा की जाती हैं कि प्राधिकरण में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के स्वीकृत 11 पदो के विरूद्ध 9 कार्यरत है, 02 पद वर्तमान मे रिक्त है इस रिक्त पद के विरूद्ध सेवानिवृत सहा. प्रशा. अधि. को प्रतिमाह निर्धारित समेकित पारीश्रमिक पर नियमानुसार लगाये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं। | एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं। |

प्राधिकरण में निम्नलिखित सेवानिवृत सहा. प्रशा. अधि. को कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 के **परिशिष्ट-क** के अनुक्रम में प्राधिकरण में सहा. प्रशा. अधि. के रिक्त पद के विरूद्ध निम्नलिखित कार्मिक की सेवाए प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निणयार्थ प्रस्तुत हैं :-

| क्र.सं. | सेवानिवृत कार्मिक का नाम | सेवानिवृत पदनाम | सेवानिवृत तिथि | जन्म तिथि | रिक्त पद के विरूद्ध |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | श्री कैलाश जोशी | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 31.05.2023 | 06.05.1963 | सहायक प्रशासनिक अधिकारी |

प्राधिकरण मे सहा. प्रशा. अधि. के कुल 11 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरूद्ध 09 पदों पर कार्यरत हैं एवं 02 पद वर्तमान मे रिक्त हैं। इन रिक्त पदों के विरूद्ध श्री कैलाश जोशी सेवानिवृत सहा. प्रशा. अधि. द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकरण में समेकित पारिश्रमिक पर नियुक्ति हेतु निवेदन किया गया है। नियुक्ति से पूर्व इनके निवेदन अनुसार सक्षम स्वीकृति हेतु पत्र राज्य सरकार को भिजवाया गया था, जिसके अनुसार संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.5(19)नविवि/II/2023 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा श्री कैलाश जोशी को कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याक्षा में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.03.2023 के द्वारा एक वर्ष अथवा पदोन्नति से नियमित कर्मचारी पदस्थापित करने में से, जो भी पहले हो के आधार पर श्री कैलाश जोशी, सेवानिवृत सहायक प्रशासनिक अधिकारी को प्राधिकरण में लगाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

उपरोक्त आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 3390 दिनांक 14.09.2023 द्वारा श्री कैलाश जोशी को कार्यकारी की समिति की बैठक की प्रत्याक्षा में एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो नियुक्त किया गया हैं।

कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक 28.03.2023 के अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत कार्मिको को एक वर्ष या प्राधिकरण की आवश्यकता तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण कार्यकारी समिति के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 25 :: रजिया बेगम पत्नी करम रसूल सैयद को भूखण्ड 09 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर योजना का भूखण्ड बहाल/आवंटन बाबत्।**

| क.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | रजिया बेगम पत्नी करम रसूल सैयद को भूखण्ड 09 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर योजना का भूखण्ड बहाल/आवंटन की अभि  ंशा की गई है। |

प्रार्थीनी रजिया बेगम को भूखण्ड संख्या एच–9 पूर्वी पाल रोड योजना 90 वर्गमीटर का भूखण्ड दिनांक 04.08.1989 को लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ था।

प्रार्थी द्वारा आय प्रमाण पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र में आय 19480/– मासिक आय दर्शायी है जो आय ग्रुप के अनुसार अधिक है आय भिन्न होने के कारण प्रकरण समिति में रखा गया समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आय ग्रुप भिन्न होने के कारण उक्त आवंटित भूखण्ड को निरस्त कर दिया जावें।

प्रार्थीनी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष सरंक्षण मंच जोधपुर में वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या एच–9 राजीव गांधी नगर योजना जोधपुर की नियमानुसार राशि  का परिवादिनी के नाम मांत्र पत्र जारी करें तथाा परिवादिनी द्वारा देय राशि जमा करवाने पर उसे उक्त आवंटित भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द करें। इसके अलावास परिवादिनी को मानसिक क्षति एवं आर्थिक क्षति पेटे 10,000/– रू एवं परिवाद व्यय पेटे 5000/– रू कुल 15,000/– रू भी अदा करें।

कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार राजीव गांधी योजना सेक्टर एच में भूखण्ड संख्या 09 मौके पर रिक्त है जिसका क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर है।

वसूली शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 09 सेक्टर एच राजीव गांधी नगर योजना रेकर्ड अनुसार उक्त भूखण्ड रिक्त है।

अतः प्रार्थीनी रजिया बेगम को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना सेक्टर–एच भूखण्ड संख्या 09 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का भूखण्ड बहाल/आवंटन करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 26 :: माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु।**

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी करने हेतु श्री दिनेश जैन को पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु इनका विवरण निम्नानुसार है :–

नाम : श्री दिनेश जैन
पता : सीबीआई कार्यालय के सामने, गली नम्बर 10, दिलीप नगर, गोकुल जी प्याऊ, जोधपुर
पंजीयन संख्या : आर/1800/2013
मो.नं. : 9928314441

**खर्चे एवं नियुक्ति की शर्ते :–**

पैनल अधिवक्ता को निम्नानुसार फीस एवं खर्चे देय होंगे :–

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर – प्रति प्रकरण 7,000/–मात्र
2. अन्य खर्चे :– माननीय राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित

शर्ते :–

1. उक्त नियुक्त अधिवक्ता को प्राधिकरण को यह लिखित में अण्डरटेंकिग देना होगा कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण पैरवी हेतु नहीं लिया जावेगा।
2. प्राधिकरण के संबंधित किसी भी मुकदमें का निर्णय होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता का उस मुकदमें की पत्रावली व प्राधिकरण की पत्रावली मय निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट भेजने के पश्चात ही उसको मेहनताना का अन्तिम भुगतान किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रभारी अधिकारी विधि शाखा/विधि अधिकारी सुनिश्चित करेगें।
3. नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण की तारीख पेशियों से पूर्व प्रभारी अधिकारी को अवगत करायेगें। जवाब दावा तैयार करने में प्रभारी अधिकारी की ओर से देरी होने पर निदेशक (विधि) को अवगत करायेगें।
4. निर्णय होने के 7 दिवस में निर्णय की प्रति मय राय से अवगत करायेगें। यदि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति उक्त अवधि में नहीं दी जाती हैं तो मौखिक रूप से प्रभारी अधिकारी को सूचित करेंगें।
5. प्राधिकरण संबंधित पूर्व में जो प्रकरण विभिन्न न्यायालय में निर्णित हो गये हैं उनके अधिवक्ता से भी आग्रह है कि कृपया उन मुकदमों की पत्रावलियों एवं प्राधिकरण की संबंधित पत्रावलियां जो भी आपके पास हो उन्हे आगामी एक माह में प्रभारी अधिकारी/विधि शाखा/विधि अधिकारी को सम्भालने का कष्ट करावें।
6. नियुक्त अधिवक्ता उन्हें आंवटित प्रकरणों की मासिक प्रगति से निर्धारित प्रारूप में निदेशक (विधि) को अवगत करायेगें।
7. पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तो एवं भुगतान के संबंध में जहां प्राधिकरण द्वारा कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। वहां विधि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/आदेश लागू होगें।
8.

उपरोक्तानुसार श्री दिनेश जैन, अधिवक्ता को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 27 :: ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में संस्थानो/समाजो के लिए भूमि चिन्हिकरण बाबत्।**

| क. स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | बुझावड के खसरा संख्या 18 में संस्थानो/समाजो को भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है। |

प्राधिकरण में विभिन्न चेरिटेबल व अन्य सामाजिक संस्थानो द्वारा समय–समय पर भूमि आवंटन की मांग की जा रही है इसलिए ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में संस्थानो/समाजो के लिए भूमि आवंटन करने पर विचार किया गया।

ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है। कुल रकबा 404–00 बीघा बीघा भूमि में से 50 बीघा भूमि में संस्थानो/समाजो को भूमि आवंटन के लिए भूमि चिन्हित करने की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 28 :: प्राधिकरण के डोरमेट खातों को बन्द करने एंव FLEXI FDR बनाने कि स्वीकृति बाबत्।**

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | प्राधिकरण के 43 खातो में लम्बे समय से ट्रान्जेक्शन नही होने से खातें डोरमेट हो चुके है जिनको बन्द कर शेष राशि प्राधिकरण कोष में जमा करवाने के संबंध में। | प्रस्ताव की अनुशंषा की जाती है। |
| 2. | प्राधिकरण के शेष संधारित खातों में Flexi-FDR बनवाने के संबंध में। | प्रस्ताव की अनुशंषा की जाती है। |

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के डोरमेट हो चुके खातों को बन्द करने एंव प्राधिकरण के शेष संधारित खातों में एस्क्रो खाता एंव दैनिक लेनदेन खातों में युक्तियुक्त राशि को छोडते हुए Flexi-FDR बनवानी है। आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रावली के पेरा संख्या एन/26 में इसकी कार्यकारी समिति में अुनमोदन की प्रत्याशा पर स्वीकृति प्रदान की गई थी।

अतः इसके अनुमोदन का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 29 :: राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 239 व अन्य क्षेत्र में जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क के उत्तर दिशा में प्रस्तावित जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर व 24 मीटर सड़क को प्राधिकरण के पूर्व कमिटमेंट के परिप्रेक्ष्य में विलोपित करने बाबत्।**

प्रकरण में तथ्य निम्नानुसार है :–

- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 239 व अन्य क्षेत्र में जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क के उत्तर दिशा में प्रस्तावित जोनल डवलपमेंट प्लान की 18

मीटर सड़क जिसकी लम्बाई 215 मीटर एवं 24 मीटर सड़क जिसकी लम्बाई 2610 मीटरप्रस्तावित की गई है।

- प्रकरण में न्यास/प्राधिकरण द्वारा खसरा सं. 239 राजस्व ग्राम पाल में उक्त 24 मीटर सड़क का मार्गाधिकार 30 फीट निर्धारित करते हुए अनुमोदन किये गए है एवं पट्टा विलेख जारी हैं।
- उक्त सड़कें जोनल प्लान S-1 व नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) जोनल प्लान की सीमा पर स्थित हैं। प्रश्नगत सड़कों को जोनल प्लान S-1 में दर्शाया गया है, किन्तु नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) के जोनल प्लान में निरन्तर नहीं रखा गया है।
- उक्त सड़कों को मौके पर जोनल प्लान अनुसार सड़क एलाईनमेंट क्रियान्वित करने हेतु कमिटमेंट की भूमि आवाप्त की जानी होगी।
- उपरोक्त तथ्यों के क्रम में जोनल प्लान की प्रस्तावित 24 मीटर (A-B, B-C, C-D, D-E, C-H, H-I, D-J) सड़कों को एवं जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 18 मीटर सड़क (F-G) को विलोपित किया जाना प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्षय में खसरा संख्या 239 व अन्य क्षेत्र में जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क के उत्तर दिशा में प्रस्तावित जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर व 24 मीटर सड़क को विलोपित किये जाने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 30 :: श्री राजकुमार वर्मा, सेवानिवृत सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम, कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर की प्राधिकरण में समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर सेवाए लेने के सम्बन्ध में।**

| **क्रं. सं.** | **प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा** | **प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव** |
|---|---|---|
| 01. | यह घोषणा की जाती हैं कि :–<br>वर्तमान में प्राधिकरण में सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम का पद स्वीकृत/रिक्त नहीं हैं।<br>अतः अन्य स्वीकृत/रिक्त पदों के विरूद्ध उक्त सेवानिवृत कार्मिक को लगाये जाने का निर्णय कार्यकारी समिति में लिया जाना हैं।<br>प्राधिकरण में लेखा संवर्ग में निम्नलिखित पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं :–<br>1. सहाकय लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम – 01 पद रिक्त<br>2. कनिष्ठ लेखाकारी – 15 पद रिक्त | एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं। |

प्राधिकरण में निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिक को कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ–17 (10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में प्राधिकरण में अन्य स्वीकृत/रिक्त पदों के विरूद्ध लगाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

| क्रं. सं. | सेवानिवृत कार्मिक का नाम | सेवानिवृत पदनाम | सेवानिवृत तिथि | जन्म तिथि | रिक्त पद के विरूद्ध |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | श्री राजकुमार वर्मा | सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम | 31.07.2023 | 05.07.1963 | प्राधिकरण में इनका पद स्वीकृत/रिक्त नहीं होने के कारण इसका निर्णय कार्यकारी समिति की बैठक में लिया जाना हैं। |

कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत कार्मिको को एक वर्ष या प्राधिकरण की आवश्यकता तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण कार्यकारी समिति के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान निदेशक–वित्त द्वारा अवगत कराया कि हाल ही में सहायक लेखाधिकारी के पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति हो चुकी है एवं श्री वर्मा रेवेन्यू लेखा संवर्ग के कार्मिक हैं। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–वित्त द्वारा अवगत कराये गये तथ्य का समावेश उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव में करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन करने निर्णय लिया गया। साथ यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण राज्य सरकार (नगरीय विकास विभाग) की अधिकारिता का होने के कारण नगरीय विकास विभाग को कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 31 :: बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2023–24 के बिन्दु संख्या 123 के अन्तर्गत जोधपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के Conventions & Exhibitions के लिए MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) Centres स्थापित करने के कार्य की कन्सलटेन्सी कार्य लागत राशि रू. 200.00 लाख की वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकि स्वीकृति, टर्म ऑफ रेफ्रेन्स अनुमोदन बाबत्।**

| क्रस. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है। | जोधपुर में MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) Centres स्थापित करने के कार्य की कन्सलटेन्सी कार्य हेतु वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकि स्वीकृति, टर्म ऑफ रेफ्रेन्स के अनुमोदन का प्रस्ताव। |

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वित्तीय वर्ष 2023–24 के बिन्दु संख्या 123 के अन्तर्गत जोधपुर में राशि रू. 100.00 करोड़ की लागात से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के Conventions & Exhibitions के लिए MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) Centres स्थापित करने की घोषणाा की गई है। उच्च स्तरीय विचार विमर्श अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेन्टर के पीछे स्थित रिक्त भूमि पर MICE Centre का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त वृहद परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कल्सटेन्ट नियुक्ति की आवश्यकता रहेगी। कन्सलटेन्सी कार्य की अनुमानित लागत परियोजना की निर्माण लागत का 2 प्रतिशत (2% @ Rs. 100 करोड़ = Rs. 200.00 लाख) आने की संभावना है। कन्सलटेन्सी कार्य की बिड हेतु मुख्य टर्म ऑफ रेफ्रेन्स/शर्ते निम्नानुसार प्रस्तावित है:–

| Time for Completion of work | Sr No | Activity | Timeline |
|---|---|---|---|
| | 1 | Award of work to Consultant | D day |
| | 2 | Preparation and Submission of Concept Design for the proposed Buildings and its submission to JoDA Jodhpur for their approval. | D+1.0 Month |
| | 3 | Preparation and Submission Preliminary Estimate/ DPR preparation | D+3.0 Months |
| | 4 | Preparation of all the drawings, detailed estimates, BOQ, specificationsetc (i.e., all documents) for Call of tenders for finalizing Contractor / Agency. | D+ 4.0 Months |
| | 5 | Award of Work Order for Execution of Work to Contractor | D + 6.0 Months |
| | 6 | Commissioning/ Completion of Project afterapproval from the local bodies. | 30.0 Months |

2.0 Minimum Eligibility Criteria:

The interested bidders should meet the following minimum qualifying criteria:

**A.** Work Experience:

i) Experience of having provided Architectural & Consultancy services for successfully completed similar works during the last 7 years ending initial stipulated last date of submission of tenders:-

a. Three similar works each costing not less than 40% of the estimated cost of the project

OR

b. Two similar works each costing not less than 50% of the estimated cost of the project

OR

c. One similar work costing not less than 80% of the estimated cost of the project.

"Similar works" shall mean Residential /Non-Residential Building works of any no. of storeys". "Successfully completed similar works" shall mean completion of construction of project for which consultancy assignment has been executed.

ii) The past experience in similar nature of work should be supported by certificates issued by the client's organisation. In case the work experience is of Private sector, the completion certificate shall be supported with copies of the Letter of Award/ Contract Agreement and Corresponding TDS Certificates. Value of work will be considered commensurate with the value of fee received as per TDS Certificates compared to agreed consultancy fee with client.

iii) The value of executed works shall be brought to the current level by enhancing the actual value of work done at a simple rate of 7% per annum, calculated from the date of completion to previous day of initial stipulated last date of submission of tenders as per NIT .

iv) Joint-venture / consortia of firms / companies and Foreign bidders are not eligible to quote for the tenders. .

v) The bidders submitting experience certificate for the works done in joint venture (JV)/consortium with other firms/companies, their proportionate experience to the extent of its share in the JV/consortium or work done by them shall only be allowed on submitting the valid proof of their share/ work done.

**B.** Financial Strength:

**I.** The Average annual financial turnover for last 3 years shall be at least 40% of the estimated consultancy fee put to tender. The requisite Turn Over shall be duly certified by a Chartered Accountant with his

Seal/ signatures and registration number.

In case of Companies/Firms less than 3 years old, the Average annual financial turnover shall be worked out for the available period only.

**II.** The bidders are required to upload page of summarised Balance Sheet (Audited) and also page of summarised Profit & Loss Account (Audited) for immediate last three years.

**3.0** Payment of Remuneration:

**3.1 Remuneration**

The fee includes planning, preliminary designing and periodical supervision during construction of the project, travel expenses towards periodical supervision, for attending meetings with JODA/Clients/ visits to local authorities, etc. by the Consultant and or by their technical persons. For all contracts having estimated project cost as per NIT valuing Rs. 100 crs & above, in addition to above, the fees should also include cost of providing local representative (Architect / engineer) for day to day liaisoning and all expenses shall be borne by the consultant. In case of non-deployment, recovery @ Rs. 25000/- per month shall be made from the running bills of the Consultants.

All payments shall be made in Indian currency only.

(a) The Consultancy Fee:

JODA agrees to pay the Architect firm/Consultant fees for the professional services to be rendered by them as herein above described at 2(I), II, III,& IV in clause - 2 "Scope of Work" of section-3.

The payment of fee to the Architect firm/consultant shall be restricted to the project cost. For the purpose of payment of fees, the project cost shall be lowest of the following:

1. The actual cost of the project on completion; or
2. DPR /preliminary cost approved by JODA/Client; or
3. Estimated cost of the project put to tender.

The actual completion cost of the project or DPR /preliminary cost approved by JODA/Client or Estimated cost of the project put to tender shall not include the following:

- Cost of land, if any.
- Payment to statutory bodies/local authorities/Green Building Certification Authorities/State/Central Government.
- Any fee, deposit and payment towards services rendered by localAuthorities/State/Central Govt.
- JODA agency charges.
- Contingencies charges
- Escalation in tendered cost of work due to variations in the cost of labour, material, specifications etc. shall not be paid
- Extra/substituted items, deviations (plus/minus)

(b) The above fee at 3.1 (a) is inclusive of fee payable by the consultant to any

other consultant/Associate(s) and nothing extra shall be payable by JODA for this purpose.

**4.0** Mode of Payment:

i) Milestone payment schedule for various activities are as under:

| SL. No. | Milestone Achieved | Extent of Payment/ Percentage of Payable Fee |
|---|---|---|
| 1 | Preparation of Conceptual Project Report including Site (Layout) Plan of buildings and services, concept drawings of all buildings, Preliminary Estimate, giving Presentations on the schemes to JODA/client and incorporating modifications, if any, Obtaining its approval from JODA and client(RTDC/Tourism Department). | (10%) |
| 2 | Preparation of required drawings and approval from all local/ Statutory authorities, Preparation of Models/ Perspective views/ walkthrough etc. | (10%) |
| 3 | Preparation and Submission of all architectural drawings including Design basis report, finishing schedules, details of all services including MEP, IT, HVAC, Fire Fighting, Landscaping, Security etc. indicating complete scope, Obtaining its approval from JODA and client(RTDC/Tourism Department), if required. Submission of take-off sheets, complete Tender Documents including BoQ, Technical Specifications, List of recommended makes, Drawings, Analysis of rates, Detailed Estimate. | (10%) |
| 4 | Award of work to the Contractor | (15%) |
| 5 | Proof checking of structural design, internal and external utility services. | (15%) |
| 6 | During the execution of work (on pro-rata basis) Commensurate with the value of the work executed | (25%) |
| 7 | Balance after successful commissioning of the building/project and getting completion certificate from authorities | (15%) |
| 8 | Complete documentary film of 10 minute and a Coffee table book (of atleast 20 pages, printed on both sides of pages) detailing the complete progress of the project from concept to completion, highlighting the salient features of the project, the challenges faced, the innovations implemented etc | @Rs.30,000/- per minutes for documentary film. No extra payment shall be made for Coffee table book. |

**Note:** The part payment against above stages on part completion of required scope of work under a particular stage can be released as per decision of Engineer in-charge by mentioning the reasons for the same.

उक्त कन्सलटेन्सी कार्य हेतु सम्पूर्ण बिड डॉक्यूमेंट की प्रति संलग्न है। प्राधिकरण की वर्तमान एस.ओ.पी. के बिन्दु सं. 06 अनुसार राशि रू. 50 लाख से अधिक कन्सलटेन्सी कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति की सक्षमता प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निहित है। अतः जोधपुर में MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) Centres स्थापित करने के कार्य की कन्सलटेन्सी कार्य हेतु राशि रू. 200.00 लाख की वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकि स्वीकृति एवं टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रभारी अधिकारी द्वारा शिड्यूल ऑफ पावर (एस.ओ.पी) के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार प्रकरण की अनुशंषा उपरान्त पर्यटन विभाग से स्वीकृति/राशि प्राप्ति की प्रत्याशा में उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 32 :: प्राधिकरण कार्यालय उपयोग हेतु फोटो कॉपी का कार्य में संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं समयावृद्धि के संबंध में।**

| क्र.सं | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है | प्राधिकरण कार्यालय उपयोग हेतु फोटो कॉपी का कार्य में संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 73.00 लाख एवं समयावधि के अनुमोन की अभिशंषा की जाती है। |

प्राधिकरण कार्यालय उपयोग हेतु फोटो कॉपी का कार्य का कार्यादेश कमांक 103 दिनांक 17.07.2012 वार्षिक दर संविदा अनुबंध के तहत जारी किया गया था। इस अनुबंध के तहत कार्य की समयावधि बढाई गई थी साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्राधिकरण बैठक कार्यवाही कमांक बैठक/2013/1801–V/1/1021-70 दिनांक 24.09.2013 के प्रस्ताव संख्या 6 (16) के बिन्दु सं. 304 के द्वारा संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 35.00 लाख जारी की गई तथा अनुबंध की समयावधि 6 माह तक बढाई गई थी। परंतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक विवरण कमांक 2179–2217 दिनांक 04.08.2014 के प्रस्ताव संख्या 06 से उक्त संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को निरस्त किया गया है। लेकिन इस अनुबंध के तहत एवं स्वीकृत दरो के अनुसार जनवरी 2015 तक संबंधित फर्म से कार्य करवाया गया तथा पत्रावली पर फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलो का सत्यापन किया गया है। मूल पत्रावली भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो द्वारा जांच हेतु ली गई थी। जिसे दिनांक 16.06.2020 को पुनः कार्यालय भेजी गई है। पत्रावली पर उपस्थित तथ्यो के अनुसार पत्रावली जांच हेतु एसीबी में होने के कारण नवीन निविदा आमंत्रित नही किया जाना बताया गया है। चुंकि कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृत राशि रू. 20.00 लाख तथा अवधि 12 माह थी जबकि अनुबंध के तहत वास्तविक कार्य अवधि 30 माह रही तथा कार्य पर कुल व्यय राशि रू. 73.00 लाख है। जिसमें से राशि रू. 20.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष राशि रू. 53.00 लाख के भुगतान की संवेदक द्वारा मांग की जा रही है। चुंकि प्रकरण वर्ष 2012–13 का है तथा मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृत एवं अवधि से कमश 3.5 गुणा व 2.5 गुणा होने के कारण शिथिलता प्रदान करते हुये सक्षम स्वीकृति हेतु अथवा निर्णय हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है।

अतः कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 73.00 लाख की स्वीकृति एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्तुत प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 33 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 में नगर नियोजन सेवा अनुसूची संख्या IV के अन्तर्गत नगर नियोजन संवर्ग के विभिन्न पदों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों व नियमों के समावेश बाबत**

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध में प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 01. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं टिप्पणियों के अनुसार प्रस्तुत है। | जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 में नगर नियोजन सेवा अनुसूची संख्या IV के अन्तर्गत नगर नियोजन संवर्ग के विभिन्न पदों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों व नियमों के समावेश बाबत |

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक प.4(15)नविवि/ ।।/2008 दिनांक 09.05.2023 के द्वारा एवं पूर्व में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण में नगर नियोजन सेवा व नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा के निम्न पद स्वीकृत है :–

| नगर नियोजन सेवा | वर्तमान स्वीकृत पद | नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा | वर्तमान स्वीकृत पद |
|---|---|---|---|
| मुख्य नगर नियोजक | 01 | नगर नियोजक सहायक | 07 |
| वरिष्ठ नगर नियोजक | 02 | वरिष्ठ प्रारूपकार | 01 |
| उप नगर नियोजक | 04 | कनिष्ठ प्रारूपकार | 03 |
| सहायक नगर नियोजक | 10 | | |

श्रीमान् मुख्य नगर नियोजक, राज. जयपुर के पत्रांक टीपीआर 9124जी.2012/2151 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा नगर नियोजन सेवा एवं नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा के पदों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 एवं राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 की नवीनतम/अपडेटेड सेवा नियमों व मापदण्ड प्राधिकरण को प्रेषित किये गये है, जिसकी प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 के भाग संख्या VII की अनुसूची संख्या IV में नगर नियोजन सेवा के विभिन्न पदों व उक्त पदों हेतु मापदण्ड यथा–योग्यता, अनुभव इत्यादि वर्णित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। उक्त प्राधिकरण सेवा विनियमों में राज्य सरकार द्वारा नगर नियोजन सेवा व नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा हेतु नवीनतम निर्धारित योग्यता, अनुभव का समय–समय पर समावेश नहीं किया गया है। जिससे परस्पर विरोधाभास है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम के बिन्दु संख्या 33 व 34 में उल्लेखित अनुसार प्राधिकरण आयुक्त को तदर्थ निर्णय लेते हुए सेवा विनियमों में संशोधन के अधिकार प्रदत्त है। (प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य नगर नियोजक महोदय के पत्र दिनांक 21.03.2023 में वर्णित नगर नियोजन सेवा व नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा के पदों हेतु निर्धारित मापदण्डों को एकरूपता के दृष्टिगत जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 की अनुसूची संख्या IV में नगर नियोजन सेवा के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है –

| S. No. | Name of the post | Criteria set by the state government for the posts of town planning services PROPOSED | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Source of Recruitment with percentage | Minimum qualifications and experience for direct recruitment | Post from which promotion is to be made | Minimum Experience required for promotion | Remarks |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Chief Town Planner | 100% by Promotion | — | Addl. Chief Town Planner | 3 Years Experience on the post of Additional Chief Town Planner | 1 In case Addl. Chief Town Planner is not available or not found suitable for promotion to the post of Chief Town Planner. Then Senior Town Planner with 8 Years Experience on the post may be considered for promotion to be post of Chief Town Planner.<br>2. The entries at column 5 and 6 and the entries appearing against Sr. No. 2 below shall come into force w.e.f. 14.06.1979. |
| 2. | Sr. Town Planner | 100% by Promotion | - | 1. Dy. Town Planner<br>2. Dy. Town Planner (Civic Survey)<br>3. Dy. Town Planner (Planner Research) | 5 years' Experience on any one of the posts mentioned in column 5. | 1 Integrated seniority according to length of continued officiation after regular selection shall be determined for purpose of promotion to the post of Sr. Town Planner. |
| 3. | Dy. Town Planner | 100% by Promotion | — | Assistant Town Planner | 5 years' experience as Assistant Town Planner | — |
| 4. | Assistant Town Planner | 75% by direct recruitment, , 25% by Promotion | Bachler's Degree in Engineering (Civil)/Architecture/Planning with Post Graduate | Town Planning Assistant /Head Draftsman | 2 years' experience on the post of Town Planning Assistant/Head Draftsman | — |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Degree in Urban/City/Regional Planning/Traffic and Transportation Planning or M. Tech in Planning or M. Plan (Urban/Regional/Traffic & Transport/Environment) or equivalent. OR Bachler's Degree in Planning/Architecture from a recognised Institute/University established by law in India with 2 years' experience in the field of Town Planning. | | | |
| 5. | Town Planning Assistant | 50% 50% | (i)Intermediate in Architecture or Diploma in Architecture or Architectural Assistantship (three year's Course) from a recognised Institution with two years' experience as Draftsman in Town Planning/Architect's office OR (ii) Polytechnic Diploma in Civil Drafts man ship with | Senior Draftsman | Five years' experience as senior Draftsman | — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Three years' experience as Draftsman in town Planning/Architect's office<br><br>OR<br>(iii) Draftsman Certificate (Civil) from National Council of Vocational Trade with 5 years' experience as Draftsman in Town Planning/Architect's office | | | | |
| 6. | Senior Draftsman | 25%<br>75% | (i) Intermediate in Architecture or Diploma in Architecture or Architectural Assistantship (three year's Course) from a recognised Institution.<br><br>OR<br>(ii) Polytechnic Diploma in Civil Drafts man ship with one years' experience as Draftsman in town Planning/Architect's office<br><br>OR<br>(iii) Draftsman Certificate (Civil) from National Council of Vocational Trade with three years' | Junior Draftsman | Four years' experience as Junior Draftsman. | | — |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | experience as Draftsman in Town Planning/Architect's office | | | |
| 7. | Junior Draftsman | 50%<br>50% | (i.). Polytechnic Diploma in Civil Drafts man ship<br><br>(ii). Draftsman Certificate (Civil) from National Council of Vocational Trade with two years' experience as Tracer in Town Planning/Architect's office. | Tracer | Secondary Examination Passed and having 3 years' experience as tracer | — |

| S. no. | Name of the post | **Criteria prescribed for the posts of town planning services in jodhpur development authority, jodhpur service rules EXISITING** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Source of Recruitment with percentage | Minimum qualifications and experience for direct recruitment | Post from which promotion is to be made | Minimum Experience required for promotion | Remarks |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| 1 | Chief Town Planner | — | — | — | — | प्राधिकरण सेवा नियमों में उल्लेख नहीं है। |
| 2 | Sr. Town Planner | 100% by Promotion | - | Dy. Town Planner | 5 years' experience as Dy. Town Town Planner | — |
| 3 | Dy. Town Planner | 100% by Promotion | — | Assistant Town Planner | 5 years' experience as Assistant Town Planner | — |
| 4 | Assistant Town Planner | 50% by direct recruitment, , 50% by Promotion | 1 Degree in Architecture (5 year's full-time course) of a University establishment by law in India or equivalent.<br>2 . Post Graduate Degree or Diploma (2 year's full time Course) in Town/City/Regional | Town Planning Assistant | 5 years' experience as Town Planning Assistant | — |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Planning of a recognized Institution<br>3 Associate of the Institute of Town Planners India | | | |
| 5 | Town Planning Assistant | 50%<br>50% | (i)Intermediate in Architecture or Diploma in Architecture or Architectural Assistantship (three year's Course) from a recognised Institution with two years' experience as Draftsman in Town Planning/Architect's office<br>OR<br>(ii) Polytechnic Diploma in Civil Drafts man ship with Three years' experience as Draftsman in town Planning/Architect's office<br>OR<br>(iii) Draftsman Certificate (Civil) from National Council of Vocational Trade with 5 years' experience as Draftsman in Town Planning/Architect's office | Senior Draftsman | Five years' experience as senior Draftsman | — |
| 6 | Senior Draftsman | 25%<br>75% | (i) Intermediate in Architecture or Diploma in Architecture or Architectural Assistantship (three year's Course) from a recognised Institution.<br>OR<br>(ii) Polytechnic Diploma in Civil Drafts man ship with one years' experience as Draftsman in town Planning/Architect's office<br>OR<br>(iii) Draftsman Certificate (Civil) from National Council of Vocational Trade with three years' experience as Draftsman in Town Planning/Architect's office | Junior Draftsman | Four years' experience as Junior Draftsman. | — |
| 7 | Junior Draftsman | 50%<br>50% | (i.). Polytechnic Diploma in Civil Drafts man ship<br><br>(ii). Draftsman Certificate (Civil) from National Council of Vocational Trade with two years' experience as Tracer in Town Planning/Architect's office. | Tracer | Secondary Examination Passed and having 3 years' experience as tracer | — |

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2023/ भाग–14/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 98 /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(डॉ. हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2023/2606–2625 दिनांक :: 26 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
03. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. निजी सचिव जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. निजी सचिव, प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर/ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
06- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. आयुक्त, नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
09. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
12. प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
14. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त–1/2/3/4/5/6/ उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. ..............................................................................................

(डॉ. हरीतिमा)
सचिव

श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री मनोज कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), जोधपुर – जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि
2. श्री एम.एस. चारण, जोनल मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
3. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, शहर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
4. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता–शहर, जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
5. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी सर्कल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
6. श्री भवानी सिंह, सहायक अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण
7. श्री तबाब खां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर
8. श्री रमेश खिडिया, निरीक्षक पुलिस, यातायात शाखा, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
9. श्री भानु प्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
10. श्री रामपाल जैमेरिया, प्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री दशरथ कुमार सोलंकी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री महेन्द्रसिंह चौधरी, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0